

प्रसूति-प्रसुविधा के लिए दावा तथा
काम की सूचना

विनि. प्ररूप 19
Reg. Form-19

CLAIM FOR MATERNITY & NOTICE OF WORK

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(विनियम 88, 89 व 91)
(Regulation 88, 89 & 91)

बीमाकृत महिला का नाम/Insured Woman's Name _____

बीमा संख्या/Insurance No. _____

पत्नी/पुत्री/Wife/Daughter of _____

मैं, उपरिलिखित बीमाकृत महिला.....से प्रत्याशित प्रसव/प्रसव*/गर्भपात के लिए प्रसूति प्रसुविधा का दावा करती हूँ।

I, the above-mentioned insured Woman hereby claim maternity Benefit for expected confinement/confinement*/miscarriage with effect from _____

मैं इसके द्वारा यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने ऊपर लिखित तारीख से पारिश्रमिक के लिए काम करना छोड़ दिया*/छोड़ दूंगी।

I further declare that I have ceased*/shall cease to work for remuneration with effect from the aforesaid date.

*मैं इसके द्वारा यह सूचना देती हूँ कि.....से पारिश्रमिक के लिए मैंने कार्य ग्रहण कर लिया है। कार्य ग्रहण कर लूंगी। मैंने.....तक की प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त कर ली है।

*I do hereby give notice that I have taken up/shall take up work for remuneration with effect from_____. I have drawn maternity benefit only upto_____.

वर्तमान नियोजक**

Present Employer** _____

विभाग, पाली व व्यवसाय
Deptt. shift & Occupation _____

विनि. प्ररूप 19
Reg. Form-19

वर्तमान पता
Present Address _____

तारीख
Dated :

बीमाकृत महिला के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
Signature/thumb impression of the Insured Woman

*जो लागू न हो उसे काट दें।

*Please delete whichever not applicable.

**यदि रोजगार में नहीं है तो पिछले नियोजक के विवरण दें।

** If not in employment, mention the particulars of last employer.

महत्वपूर्ण

IMPORTANT :-

1. जिस कालावधि के लिए प्रसूति-प्रसुविधा का दावा किया जा रहा है या किया जाना है उसके दौरान पारिश्रमिक के लिए कोई
No work for remuneration shall be taken up during the period for which Maternity Benefit is being claimed or is to be claimed.
2. फिर से काम शुरु करने से पूर्व इसकी सूचना अवश्य दी जाए।
Notice for resumption of work must be sent before any work is taken up.
3. कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा तथा 2000/- रुपये तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।
A person who makes a false statement or representation for the purpose of obtaining benefit, whether for himself or for some other person, commits an offence punishable with imprisonment for a term which may extend up to six months, or with a fine up to Rs. 2,000/- or with both.